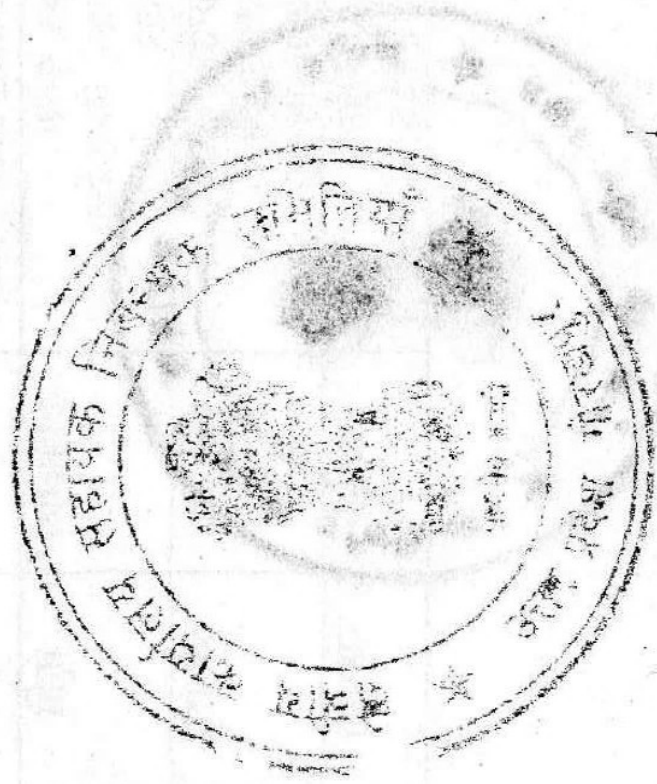




सी-56458

पत्रावली संख्या

आलेख का क्रम

सर्वजन सौहार्द सेवा समिति
महाराजगंज

विषय

आज दिनांक

11/8/2015

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत

के अन्तर्गत (अनुसूचित जाति)

अ. 11/8/15

सहायक निदेशक
शिक्षा, उत्तर प्रदेश एवं प्रिन्स
गोरखपुर

[Signature]
11/8/2015

- 1 संस्था का नाम
- 2 संस्था का पूरा पता
- 3 संस्था का कार्य क्षेत्र
- 4 संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:-

- : सर्वजन साहु सेवा संस्थान
- : मो० काजीपुर वार्ड नं० 4,
- : पो० मगहर, जिला सन्त कबीर नगर
- : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

(I) सामान्य सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था के हित के लिए सदैव कार्यरत रहेगा या संस्था को 1001/- रुपया वार्षिक शुल्क देते रहेंगे संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे।

(II) विशिष्ट सदस्य:-

जो व्यक्ति समिति के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यक पड़ने पर संस्था को आर्थिक रूप से सहायता देने वाला होगा वह व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

(III) आजीवन सदस्य:-

जो वह व्यक्ति संस्था में एक बार 10001/- रुपया निःस्वार्थ भाव से देगा वह आजीवन सदस्य माना जायेगा एवं संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों को भी सदस्यता शुल्क जमा करना होगा।

5 सदस्यता की समाप्ति:-



1. मृत्यु होने पर।
2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर।
5. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
6. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
7. अन्य मानको को पूरा न करने पर।
8. शुल्क न जमा करने पर।

6 संस्था के अंग:-

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

मीरा

Mira Gupta

Mira Gupta

Mira Gupta

सर्वजन साहु सेवा संस्थान

मो० काजीपुर वार्ड नं० 4,

पो० मगहर, जिला सन्त कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

(अ) गठन:- नवाचित सदस्यों के द्वारा साधारण सभा का गठन होगा।

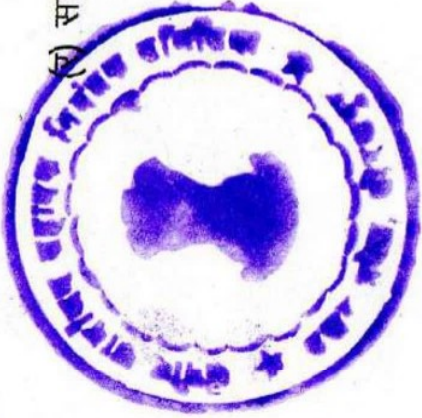
(ब) बैठक:- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी, विशेष तथा आपात बैठकें किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि:- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व या आपात बैठकें की सूचना तत्काल दी जायेगी। तथा विशेष बैठक की सूचना 48 घण्टे पूर्व या आपात बैठक की सूचना तत्काल दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति:- साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा, एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(य) वार्षिक अधिवेशन की तिथि:-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन माह अप्रैल या मई में किसी तिथि को की जायेगी।



(च) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार:-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
5. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति की देख-भाल करना।

8 प्रबन्धकारिणी समिति:-

मीश

Nayan Kumar

गणपति जी
Page 17

पदाधिकारी एवं 2 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 7 की होगी।

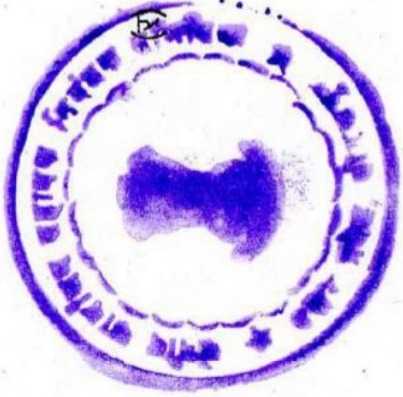
(ब) बैठक:- प्रबन्धकारिणी समिति की 4 सामान्य बैठक तथा अनेक विशेष व आवश्यक आपात बैठक सम्पन्न होगी।

(स) सूचना अवधि:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी कार्यकारिणी सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी,

विशेष बैठक की सूचना 48 घण्टे पूर्व तथा आपात बैठक की सूचना तत्काल दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति मानी जायेगी। स्थगित बैठक दुबारा होने पर किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति:- यदि किसी कारणवश कार्यकारिणी समिति में कोई पद रिक्त हो तो, उसकी पूर्ति कार्यकारिणी समिति 2/3 सदस्यों के बहुमत में साधारण सभा के सदस्यों में से कर ली जायेगी।



(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य:-

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं पदोन्नति करना।
4. संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना।

9 कार्यकाल:-

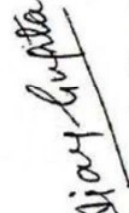
प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 साल तक होगा।

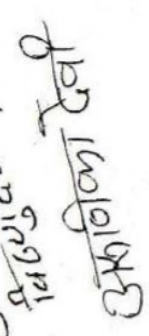
10 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(अ) अध्यक्ष:-

1 सभी बैठक की अध्यक्षता करना।

 मीरा

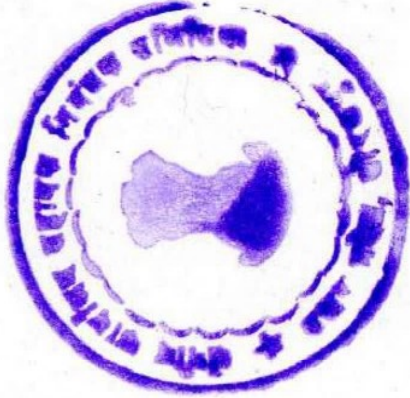
 Anil Kumar

 Anil Kumar

3. बटुक का कायवाहा करना तथा उनका कायवाहा रजिस्टर पर नोट करना।
4. संस्था के कार्यकर्त्ताओं का निरीक्षण करना।
5. सदस्यों से चन्दा लेना एवं उसकी रसीद देना।
6. संस्था के जन्म दाता का सहयोग लेना।
7. निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन, दायित्व विभाजन परिवर्तन करना।

(ब) उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सारे अधिकार का प्रयोग करना।

(स) प्रबन्धक(सचिव) :-



1. कार्यवाही लिखना एवं अनुमोदन करना।
2. अभिलेख, प्रपत्र आदि का निरीक्षण करना एवं सुविचार करना।
3. अध्यक्ष की सहमति पर नीचे के पदाधिकारियों की सक्रियता सुनिश्चित करना व उनके दायित्व बदलना इत्यादि।
4. संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति का रख-रखाव करना।
5. प्रमाण-पत्र जारी करना तथा उसकी वैधता तय करना।
6. बिल एवं वाउचरों को चेक करना एवं हस्ताक्षर करना।
7. कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति सबकी राय से करना।
8. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
9. संस्था के विरुद्ध होने वाले सभी मुकदमों की पैरवी करना।
10. कर्मचारियों को वेतन देना।

(द) उपप्रबन्धक :- प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके सारे अधिकार का प्रयोग करना।

(य) कोषाध्यक्ष:-

1. संस्था के कोष को किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करना।
2. संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा सचिव को देना।

11 संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा की राय से किसी 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

[Signature]

मीरा

[Signature]

Arjun Kumar

[Signature]
Page 19
गोपनीयता दायी

[Signature]

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म गोपनीयता एवं विरम

(क) संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा।

(ख) संस्था के नाम से जमा धन संस्था के कोषाध्यक्ष एवं प्रबन्धक (सचिव) के संयुक्त हस्ताक्षर से ही निकाला जायेगा।

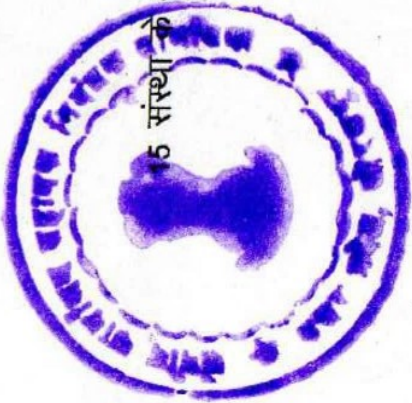
(ग) विषम परिस्थितियों में जमा धन निकालने का अधिकार संस्था के जन्मदाता का होगा। जो सर्वमान्य होगा।

13 संस्था के आय-व्यय का लेखा परिक्षण (आडिट):-

संस्था के वर्ष भर का आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा किया जायेगा।

14 संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का

उत्तरदायित्व:-



अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक (सचिव) द्वारा की जायेगी।

15 संस्था के अभिलेख:-

1. सदस्यता पंजिका।
2. कार्यवाही पंजिका।
3. स्टाक पंजिका।
4. कैश बुक आदि।

16 संस्था के विद्युतित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17 अन्य ऐसी सभी विवरण जो संस्था के उद्देश्यों की गणपूर्ति एवं संस्था के संचालन में सहयोगी, उपयोगी एवं आवश्यक हो (धारा 2 तथा नियम पर)

दिनांक 10/8/2015

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

मीरा

मीरा

Shyam Lupta अरुण कुमार देवी
Page | 10
अरुण कुमार देवी

तत्प - प्रतिलिपि

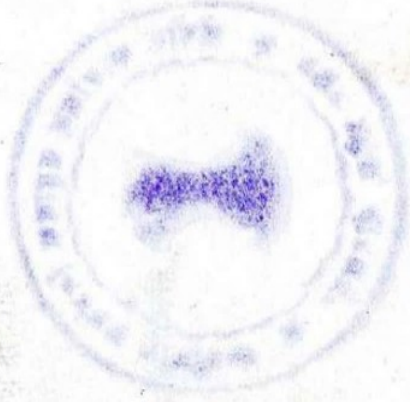
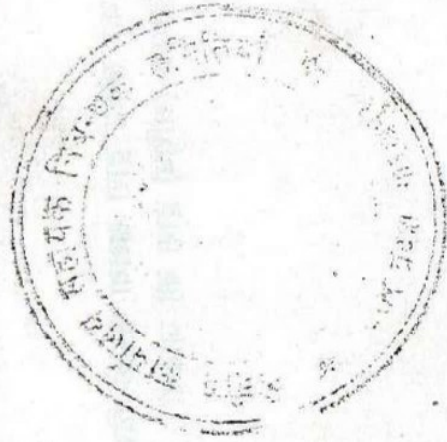
10/8/15

सत्यप्रतिलिपि

सत्यप्रतिलिपि

सत्यप्रतिलिपि

सत्यप्रतिलिपि



जी-56458
स्वयंन सहा सेवास्थान

॥१८/२०१५

७.११.१५

दीपिका

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00576/2020-2021

दिनांक 28/08/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/SKN/04397/2020-2021

पत्रावली संख्या: G-56458

दिनांक: 2015-2016

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सर्वजन साहु सेवा संस्थान, मो0- काजीपुर वाई न0-4 पो0- मगहर जनपद- संतकबीरनगर, संत कबीर नगर, 272173 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 576/2015-2016 दिनांक-11/08/2015 को दिनांक-11/08/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)

312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 28/08/2020 1:43:17 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-28/08/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।

संख्या :

2115

पत्रावली संख्या- जी- 56458

दिनांक : 11/08/15



सोसाइटी - रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण - पत्र

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अधीन)

संख्या- 576 / 2015-2016

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सर्वजन साहु सेवा संस्थान

मो०- काजीपुर वार्ड न०-4, पो०- मगहर, जूनपद- संतकबीरनगर, उ० प्र०।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र

10.08.2020

तक विधिमन्य होगा।

आज दिनांक

11.08.2015

को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

11/08/15

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

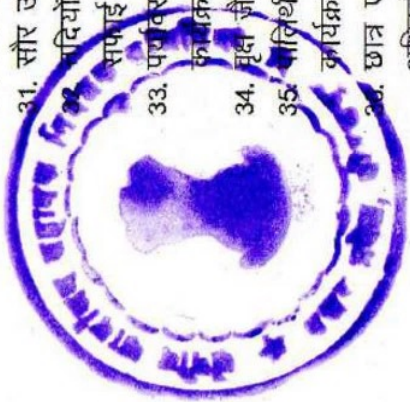
1. संस्था का नाम :
2. संस्था का पूरा पता :
3. संस्था का कार्य क्षेत्र :
4. संस्था का उद्देश्य :

सर्वजन साहु सेवा संस्थान
मो० काजीपुर वार्ड नं० 4,
पो० मगहर, जिला सन्त कबीर नगर
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

1. समाज के लोगो को एकत्रित कर उनके समाजिक एवं पारिवारिक उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना ।
2. समाज के गरीब एवं बेसाहस लोगो को आर्थिक, शैक्षणिक सहायता प्राप्त करना ।
3. सामुहिक विवाह का आयोजन करना एवं उसके लिए विवाह स्थल एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाना ।
4. समाज के भेदादी छात्र एवं छात्रों को प्रोत्साहित कर उन्हें सुविधाएं प्रदान करना ।
5. बालक एवं बालिकाओं के स्वरोजगार हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना ।
6. गरीब, बेसहारा, यतीम बच्चों को संस्था द्वारा मुफ्त शिक्षा प्रदान करना ।
7. शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना एवं कोचिंग की सुविधा प्रदान कर अच्छी शिक्षा प्रदान करना ।
8. विश्वशान्ति, कबीर शान्ति, मानवता एवं राष्ट्रीय एकता के आदेशों का पालन करना एवं सेवा कार्य करना व उसको सफल बनाना ।
9. विधवा व निराश्रित महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के अलावा अन्य योजनाओं को चलाकर उन्हें स्वालम्ब बनाना ।
10. भारत के विभिन्न जनपदों के निवासियों की नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाना ।
11. भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे - नारी उत्थान, शिक्षा मदनिकषेध उन्मूलन में रचनात्मक सहयोग प्रदान करना ।
12. निर्माश्रित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं, विकलांगों एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, उनके शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । आत्मनिर्भर की भावनाओं का विकास करते हुए जागृति उत्पन्न करना तथा उनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
13. निर्धन एवं कमजोर वर्ग व पीडित बुनकरों की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ज्ञान प्रदान कर सहायता करना ।
14. महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम का प्रयास करना, उन्हें ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार में स्थापित करना ।
15. कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क आवासी सुविधा उनके बच्चों के लिए बालवाड़ी की सुविधा उपलब्ध करना ।
16. आगनबाड़ी एवं बालविकास केन्द्रों की स्थापना करना, ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायता करना ।
17. समाज के शैक्षिक विकास हेतु महिला विद्यालयों की स्थापना करना, प्राथमिक शिक्षा तथा समस्त प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं देवनागरी भाषा को प्रोत्साहन करना ।
18. पिछड़े क्षेत्रों के लिए अविकसित विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना ।
19. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक के नये-नये विद्यालयों की स्थापना सुनिश्चित करना ।

नीरा
Rajendra Kumar
अरवि कुमार
अरवि कुमार

21. व्यक्तियों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
22. समाज व कमजोर वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के बच्चों के उत्थान हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था कर आत्मनिर्भर बनाना।
23. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ बनाना एवं जनहित में सुचारु ढंग से प्रदर्शित करना।
24. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार तथा पत्र-पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।
25. जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक, सर्वाधार्मिक ज्ञानवर्धन मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
26. विकलांगों को स्वालम्बी बनाने में उनकी मदद करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों, ट्राई साइकिल व सुविधा जनक यन्त्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उन्हें रोजगार के विभिन्न कार्यों की जानकारी प्रदान कर आत्मनिर्भर करना।
27. विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु संचित शिक्षा एवं आवासीय विकलांग विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की व्यवस्था करना एवं सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
28. मन्द बुद्धि बाल विद्यालय की स्थापना करना।
29. समाज के नेत्रहीन व्यक्तियों को समुचित चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा उनके बच्चों को निःशुल्क प्रदान करना।
30. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
31. सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा लगवाने एवं उसको प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना।
32. नदियों में गन्दे नाले के पानी एवं कचरे को रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा नदियों व नालों की सफाई करना।
33. पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु विचार गोष्ठी सम्मेलन, पर्यावरण यात्रा कार्यक्रमों को आयोजित करना।
34. वृक्ष जैवकीय तकनीकियों को ग्रामीण स्तर पर सुलभ कराना जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके।
35. पालिथीन के दुष्प्रभाव से लोगों को अवगत कराते हुए पालिथीन के प्रयोग से बचान हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
36. छात्र एवं छात्राओं के लिए स्पोर्ट्स विद्यालय या स्टेडियम खोलने का प्रयास करना तथा सभी के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए प्रशिक्षित करना।
37. प्रशिक्षित खिलाड़ियों को जिला एवं राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा देना, पुरस्कृत करना एवं सम्मानित करना।
38. बाल विकास एवं बाल विकास चिकित्सा हेतु यूनिसेफ से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
39. दहेज प्रथा अंधविश्वास एवं सामाजिक नुष्टियों को दूर करने का प्रयास करना।
40. बाल विवाह एवं जनसंख्या वृद्धि व गोष्ठी का आयोजन कर रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
41. निर्धन एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के छात्रावास का निर्माण करना व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
42. देश विदेश से आये विद्यार्थियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसान के ठहरने हेतु धर्मशाला का निर्माण करना।



मीरा

[Signature]

[Signature]

Mugan Kumar

मुकुन्दा चाल
निगुदुद चाल
सुरविका देवी

44. प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर

जन साधरण की हर तरह से सेवा करना, तथा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने में मदद करना।

45. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित शौचालय, मूत्रालय, स्नानघर, इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की व्यवस्था कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारना तथा जगह-जगह सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखना।

46. युवकों एवं युवतियों के लिए समाज सेवा, देश सेवा, ग्राम सेवा, सदाचार कर्तव्य प्रवर्णता, आत्मविश्वास, स्वात्मबल तथा भाईचारे की भावना जागृत करना।

47. निर्धन एवं कमजोर वर्ग के छात्रों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, टाईप व शार्ट हैण्ड, मोबाईल रिपेयरिंग, डीजल पम्पसेट मरम्मत इलेक्ट्रिशियन, पलम्बरी, प्रिंटिंग, कम्पोजिंग तथा बुक बाइन्डिंग स्कूटर, मोटर साईकिल, आटो रिक्शा, स्प्रे पेन्टिंग एवं डेन्टिंग, बिल्डिंग एवं फिटर, टीवी, सीडी, रेडियो मरम्मत के लिए प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना।

48. अनुसूचित जाति? अनुसूचित जनजाति एवं दलित, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीनों मजदूरों एवं ग्रामीण हस्तकारों को स्वतः रोजगार हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

49. अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं बालिकाओं व युवकों को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था का निशेधित एवं प्रशिक्षित करना।

50. जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम का आयोजन कर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना।

51. अनाथ एवं अशिक्षित बच्चों की निःशुल्क निवास, भोजन एवं शिक्षा के प्रबन्ध हेतु अनाथालय या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

52. गाँव नगर तथा कस्बों में आवश्यकतानुसार जल की सुविधा के लिए हैण्डपम्प, प्याऊ बूथ की व्यवस्था करना।

53. निराश्रित अपंग तथा अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों की सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।

54. स्तनपान के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा इससे सम्बन्धित लोगों का सलाह देना।

55. यूनीसेफ व विश्व बैंक से जनहित सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी तथा अनुदान प्राप्त कर जनहित में आयोजित करना।

56. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं को जनहित में प्रदर्शित करना।

57. स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित प्रशिक्षण व रोजगार के कार्यक्रमों की जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करना।

58. संस्था द्वारा कपाट प्रशिक्षण नाबर्ड कार्यक्रमों एवं महिला जागरूकता, स्वच्छता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान द्वारा आयोजित करना।

59. नशा उन्मूलन अस्पताल की स्थापना करना।

60. वृद्धों के कल्याणार्थ 'डे केयर सेन्टर' की स्थापना करना।

61. वृद्धाश्रम निर्माण एवं पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर समुचित व्यवस्था करना।

62. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकलांग वर्ग कम्प्यूटर, क्राफ्ट, हैन्डी क्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई शू मेकिंग, प्लास्टिक, मोलडिंग, कुर्सी की बुनाई, कैसेट डबिंग, मोमबत्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

63. स्वास्थ्य क्षेत्र में 'मेडिकल मदरवाड़ी' परियोजना की जानकारी देना।

महेश

Dr. Dinesh Gupta

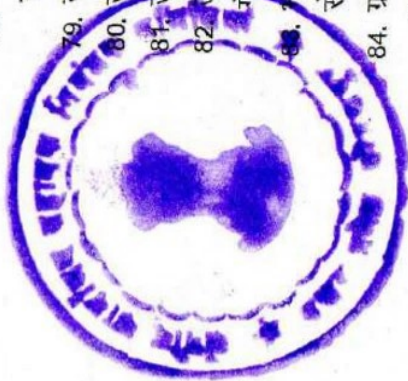
Dr. Dinesh Kumar

अनुसूचित क्षेत्र

विद्युत बाल

असुविधा टवी

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्यापक स्तर प्रचार-प्रसार कर निःशुल्क दवाइयों का विवरण करना।
66. जन साधारण को निःशुल्क चिकित्सालय व रक्तदान शिविर एवं नेत्रदान का आयोजन करना।
67. डेयरी, पोल्ट्री, गोद्री, भेड़ पालन, मधुपालन प्लाटेशन, हैण्डलूम एवं एग्रीकल्चर डवलपमेंट परियोजना की जनहित में विकसित करना।
68. मशरूम कल्टीवेशन परियोजना की जानकारी देना।
69. ग्राम विकास, वाटर सेट ऊसर भूमि सुधार परियोजना की जानकारी देना।
70. स्ट्रीट चिल्ड्रेन, छुग्री झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण योजनाओं से प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना।
71. व्यावसायिक एवं शोषण हेतु बच्चों का अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रचार-प्रसार करना।
72. वैश्याओं के बालक, बालिकाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी देना।
73. खाद्य एवं फल प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना करना।
74. भूमि सुधार करना, उसे कृषि योग्य बनाना, उन्नतिशील कृषि प्रदर्शन करना।
75. जैविक खेती, जैव तकनीकी, देशी बीज, प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व विकास हेतु कार्य योजना पर जन सहभागी एवं समाज विरोधी विकास का अनुवर्ती प्रयास करना।
76. उन्नतिशील कृषकों को फल सब्जी, मौन पालक, मशरूम, टीशू कल्चर, राष्ट्रीय बागवानी सम्बन्धित ग्रामीण के स्वरोजगार जनक कार्य करना तथा उनकी मदद करना।
77. कृषि को उन्नतिशील बनाने में आधुनिक बीजों का प्रयोग करना एवं किसानों को इसकी जानकारी देना।
78. कृषि भूमि की मिट्टी को समय-समय पर जाँच कराना एवं आभावशील तत्व की पूर्ति हेतु उर्वरक एवं दवाइयों का ज्ञान देना तथा उन्हें लाभ पहुँचाना।
79. उपजाऊ खेती के लिए उपर्युक्त उर्वरक का प्रयोग करना।
80. उपजाऊ खेत हेतु देशी खाद, गोबर के प्रयोग के लिए प्रचार-प्रसार करना।
81. ऊर्जा के श्रोत की खोज कर उसे जन साधारण तक पहुँचाना तथा सरकार की मदद करना।
82. ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं में से विद्युत कारपोरेशन व निगम को छोड़कर मानव मल तथा पशु मल से जैस एवं विकसत ऊर्जा को उत्पन्न कर जनहित में जानकारी प्रदान करना।
83. भारत के राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों हेतु एक आदर्श संस्था के रूप में सेवा करना।
84. ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक मानव दिवसों का सृजन करना एवं बहुआ मजदूरी, बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर पुनर्वास की व्यवस्था करना।
85. हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यन्वयन करना।
86. गाँधी विचार के अन्तर्गत साहित्य के प्रचार-प्रसार के द्वारा लोगों को रचनात्मक जीवन की ओर अग्रसर करना।
87. साधारणतया ऐसा कार्य करना जो रजिस्ट्रेशन एक्टशसन् 1860 ई० की धारा 20 के अन्तर्गत हो।
88. समस्त ऐसे सभी कार्यों को करना जो राज्य सरकार व भारत सरकार के अधीन हो तथा भारतीय संविधान के अनुरूप हो।



मीरा

Shyam Gupta

Shyam

Shyam Kumar

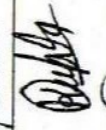
अन्तराष्ट्रीय

अन्तराष्ट्रीय

अन्तराष्ट्रीय

अन्तराष्ट्रीय

5. प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर निम्न हैं ।

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम एवं पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री कन्हैया लाल	पुत्र श्री विष्णु दयाल ग्रा0 काजीपुर, पो0 मगहर, जिला सन्त कबीर नगर	अध्यक्ष	समाज सेवी	
2	श्रीमती अर्चना देवी	पत्नी श्री रमेश चन्द्र, ग्रा0 व पो0 करमहा, जिला महाराजगंज	उपाध्यक्ष	ग्रहणी	अर्चना गुप्ता
3	श्रीमती अरुणिका देवी	पत्नी श्री कन्हैया लाल ग्रा0 काजीपुर, पो0 मगहर, जिला सन्त कबीर नगर	प्रबन्धक/ (सचिव)	ग्रहणी	अरुणिका देवी
4	श्रीमती मीरा देवी	पत्नी श्री रामकरन ग्रा0 सिक्टोर, पो0 खोराबार, जिला गोरखपुर	उपप्रबन्धक	व्यापारी	मीरा
5	श्री विष्णुदयाल	पुत्र स्व0 गनेश ग्रा0 काजीपुर, पो0 मगहर, जिला सन्त कबीर नगर	कोषाध्यक्ष	कृषि	विष्णुदयाल
6	श्री अरुण कुमार	पुत्र श्री कन्हैया लाल ग्रा0 शिवपुर महादेव झरखण्डी, पो0 कुडाघाट, जिला गोरखपुर	सदस्य	व्यापारी	Arun Kumar
7	श्री अजय कुमार	पुत्र श्री बुद्ध लाल, ग्रा0 व पो0 खोराबार, जिला गोरखपुर	सदस्य	व्यापारी	Ajay Kumar

6. हम हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमन इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 10/8/2015

मीरा
अर्चना गुप्ता
Arun Kumar
अजय कुमार
Page | 5
उत्प्रेक्षित
विष्णुदयाल
अरुणिका देवी

तय - प्रतिलिपि

9/11/15

सहायक रजिस्ट्रार
श्री गोरखपुर

प्रमाणित किया गया...
प्रमाणित किया गया...